भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3193
11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण

3193. श्री गोडम नागेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में, विशेषकर तेलंगाना राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रभावकारिता और सुचारू कार्यकरण का आकलन किया है;
(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की समय पर उपलब्धता, वितरण में पारदर्शिता और लीकेज को रोकने के लिए तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं
(ग) तेलंगाना में उचित दर की दुकानों में डिजिटल निगरानी, आधार आधारित प्रमाणीकरण और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सेवा प्रदायगी में सुधार और लाभार्थियों की संतुष्टि के लिए कोई सुधार अथवा प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत शासित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों और परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के संचालन की निगरानी आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है।

...2/-

इसके अतिरिक्त, इस विभाग ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के प्रथम चरण (2018-20) और द्वितीय चरण (2020-23) के समवर्ती मूल्यांकन के लिए प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया था। एमआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें **https://nfsa.gov.in/portal/Concurrent_Evaluation** पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ): पीएमजीकेएवाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सुलभता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सरकार की डिजिटल पहलों के हिस्से के रूप में, राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 100% डिजिटाइज़ किया गया है, जिसमें 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं और 99.2% लाभार्थी आधार से जुड़े हुए हैं।

इससे लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से उचित दर दुकानों पर अपने सभी लाभों का पूरा उपयोग करने में सुविधा मिली है। इसके अलावा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी), मेरा राशन ऐप और अन्न सहायता जैसी पहलों ने खाद्य सुरक्षा लाभों की पहुंच को बढ़ाया है, विशेष रूप से प्रवासी और गतिशील आबादी तक, जिससे पीएमजीकेएवाई और पीडीएस की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है।

*****